

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

शुद्धि-पत्र

का०आ०सं०-05/न०वि०/श०परि०-04/2017 7704

राँची, दिनांक:- 15/12/17

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के स्वीकृत्यादेश सं०-195 दिनांक-22.11.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष-2017-18 में राजधानी राँची के कांटाटोली चौक पर अवस्थित बिरसा मुण्डा बस टर्मिनल तक पहुँच पथ के पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राँची नगर निगम को कुल 3,97,31,900/-रु० (तीन करोड़ सन्तान्चे लाख इकतीस हजार नौ सौ रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश की कंडिका-2 में अंकित '3,43,45,742/-रु० (तीन करोड़ तैंतालीस लाख पैँतालीस हजार सात सौ बियालीस रूपये मात्र)' को '3,13,45,742/-रु० (तीन करोड़ तेरह लाख पैँतालीस हजार सात सौ बियालीस रूपये) मात्र' पढ़ा जाए।

3. उक्त स्वीकृत्यादेश की कंडिका-4 को निम्नवत् पढ़ा जाए :-


उक्त स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017-18 में संबंधित बजट शीर्ष से निम्नवत् विकलनीय होगी -

क्र०सं०	स्वीकृत राशि	बजट शीर्ष
1	83,86,158/-रु०	मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उपशीर्ष-33- शहरी परिवहन व्यवस्था के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड-48S221780796330679
2	3,13,45,742/-रु०	मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उपशीर्ष-56-शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण के लिए सहाय्य अनुदान-विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान-79 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड-48S221780796560679

4. उक्त स्वीकृत्यादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

5. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-195 दिनांक-22.11.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

5/5



(अरुण कुमार सिंह) 14.12.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-05/न०वि०/श०परि०-04/2017 7704

राँची, दिनांक:- 15/12/17

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/योजना-सह-वित्त विभाग/राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/आयुक्त, द० छोटानागपुर/उपायुक्त, राँची/नगर आयुक्त, राँची नगर निगम/परियोजना निदेशक (प्रशासन), जुडको लि०, राँची/महापौर, राँची नगर निगम/राँची कोषागार, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/श्री कुणाल कुमार, CMM, अमृत कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक को ऑनलाईन आवंटन हेतु/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव। 14.12.17